दूरभाष / Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूंसी, प्रयागराज – 211019
Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Prayagraj

संदर्भ सं0 G-U-1036/P-341/2021 दिनांक 13/12/2021

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (आयुध),
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,
फतेहपुर।

विषयः **श्री विनोद कुमार पुत्र कन्धई लाल निवासी मलाका थाना गाजीपुर तहसील सदर जनपद फतेहपुर के पक्ष में भूमि स्थित ग्राम देवलान परगना गाजीपुर तहसील सदर जनपद फतेहपुर की गाटा संख्या 28क पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, 17 जमशेद जी टाटा रोड मुंबई द्वारा नये रिटेल आउटलेट की स्थापना अनापत्ति के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0 125/20–विविध/आयुध–रि0आ0/2021 दिनांक 29.11.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का मानचित्र व अन्य अभिलेख संलग्न कर श्री विनोद कुमार पुत्र श्री कन्धई लाल निवासी मलाका थाना गाजीपुर तहसील सदर जनपद फतेहपुर के पक्ष में भूमि स्थित ग्राम देवलान परगना गाजीपुर तहसील सदर जनपद फतेहपुर की गाटा संख्या 28क पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, 17 जमशेद जी टाटा रोड मुंबई द्वारा नये रिटेल आउटलेट की स्थापना अनापत्ति निर्गत किये जाने की आख्या चाही गयी है।

उपरोक्त के संबंध में प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनॉक 10.12.2021 को कराया गया। स्थल निरीक्षण आख्या संलग्न है। प्रस्तावित स्थल के प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्नक के परीक्षणोंपरान्त संदर्भित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के नये रिटेल आउट लेट पम्प पर परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण, तथा सुरक्षा रिपोर्ट पेट्रोलियम नियम 2002 भण्डारण एवं आयात नियम 2016 के प्राविधानों के समुचित अनुपालन में दुर्घटना की स्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त अग्निशमन संयंत्र की व्यवस्था, आकस्मिक दुर्घटना से निपटान हेतु इमरजेन्सी नम्बर से संबंधित डिस्प्ले बोर्ड की व्यवस्था, स्थल के आस पास ईंधन/ज्वलनशील पदार्थो के दहन को रोकने की व्यवस्था, आकस्मिक दुर्घटना से निपटने की सुरक्षा रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना उचित होगा। न्यू रिटेल आउटलेट के भण्डारण एवं बिकी के प्रयोग से किसी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं किया जायेगा तथा घरेलू जल/मल के निस्तारण हेतु उपयुक्त क्षमता का सेप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना करना आवश्यक होगा। स्थल पर यदि जनरेटर की स्थापना की जाती है तो एकास्टिक इनक्लोजर एवं मानकों के अनुरूप एग्जास्ट की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाना भी उचित होगा।

अतएव उक्त बिन्दुओं का अनुपालन कराये जाने की शर्तो के साथ श्री विनोद कुमार पुत्र श्री कन्धई लाल निवासी मलाका थाना गाजीपुर तहसील सदर जनपद फतेहपुर के पक्ष में भूमि स्थित ग्राम देवलान परगना गाजीपुर तहसील सदर जनपद फतेहपुर की गाटा संख्या 28क पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, 17 जमशेद जी टाटा रोड मुंबई द्वारा नये रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

13/12/21

(आर0 के0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

SIDDHARTH JAIN
Chief Regional Manager
Kanpur Retail Regional Office
Hindustan Petroleum Corporation Limited

E:\sunil Kumar\Petrol PUMP\lab

श्री विनोद कुमार पुत्र कन्धई लाल निवासी मलाका थाना गाजीपुर तहसील सदर जनपद फतेहपुर के पक्ष में भूमि स्थित ग्राम देवलान परगना गाजीपुर तहसील सदर जनपद फतेहपुर की गाटा संख्या 28क पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, 17 जमशेद जी टाटा रोड मुंबई द्वारा नये रिटेल आउटलेट की स्थापना अनापत्ति के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित स्थल का निरीक्षण दिनांक 10.12.2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री विनोद कुमार उपस्थित थे। निरीक्षण के समय उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचना एवं दृष्टिगोचर हुए तथ्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

- प्रस्तावित स्थल पर नये रिटेल आउटलेट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रस्तावित स्थल अक्षांश-25.723971 एवं देशान्तर-80.742395 पर स्थित हैं।
- प्रस्तावित स्थल ग्राम देवलान परगना गाजीपुर तहसील सदर जनपद फतेहपुर की गाटा संख्या 28क पर स्थित है।
- प्रस्तावित स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं पाया गया परन्तु प्रस्तावित स्थल पर बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण हेतु ईटें भण्डारित पाई गयी।
- प्रस्तावित रिटेल आउट लेट के चारों ओर की स्थिति निम्नवत् है:-
- पूरब दिशा - गाजीपुर-औगासी मार्ग तत्पश्चात कृषि भूमि एवं लगभग 1.0 किमी0 की अनुमानित दूरी पर गांव नटन का डेरा की आबादी स्थित हैं।
- पश्चिम दिशा- कृषि भूमि तत्पशचात लगभग 2.0 किमी0 की अनुमानित दूरी पर गांव परसेटा की आबादी स्थित हैं।
- उत्तर दिशा - कृषि भूमि तत्पशचात लगभग 1.5 किमी0 की अनुमानित दूरी पर गांव खनसेनपुर की आबादी स्थित हैं।
- दक्षिण दिशा - कृषि भूमि तत्पशचात लगभग 3.0 किमी0 की अनुमानित दूरी पर गांव देवलान की आबादी स्थित हैं।

उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार रिटेल आउट लेट की स्थापना हेतु स्थल उचित प्रतीत होता है। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

13/12/2021

रामजस प्रसाद
(अनुश्रवण सहायक)

सहायक पर्यावरण अभियंता/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

13/12/2021
AEE

13/12/21

SIDDHARTH JAIN
Chief Regional Manager
Kanpur Retail Regional Office
Hindustan Petroleum Corporation Limited

<u>प्रारूप-च-1 (संलग्नक-8)</u>

भवन स्वामी/अधिभोगी द्वारा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अपने प्रस्तावित भवन के सम्बंध में ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने वाले स्वमघोषणा पत्र का प्रारूप-

मैं......विनोद कुमार......(भवन स्वामी/अधिभोगी) अपने प्रस्तावित भवन/ब्लाक/टावर के सम्बंध में स्वम घोषणा करता हूँ कि:-

मेरे प्रस्तावित भवन का नाम....H.P.C.L रिटेल आउटलेट....जिसका सम्पूर्ण पता ....[illegible] फतेहपुर......जनपद.......फतेहपुर......है, जिसकी ऊंचाई ...6.00...मीटर प्रस्तावित है, जिसका कुल भूखण्ड क्षेत्रफल..245.80..स्क्वायर मीटर एवं भूतल का प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्रफल.145.60.....स्क्वायर मीटर है, भवन के अन्दर कुल तलों की संख्या...1.....है।
प्रस्तावित भवन का अधिभोग नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005/2016 की..J.........श्रेणी तथा उपश्रेणी..J-1.....के अन्तर्गत है।

प्रस्तावित भवन का निर्माण कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005/2016/बिल्डिंग बाईलाज/आर0बी0ओ0 एक्ट..................इत्यादि के मानकों के अनुरूप किया जायेगा।
प्रस्तावित भवन के अन्दर अग्निशमन/अग्निसुरक्षा/जीवरक्षा प्रणाली की समस्त व्यवस्थाएं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005/2016/फैक्ट्री एक्ट-रूल्स/विस्फोटक अधिनियम/.............इत्यादि एवं उसमें दिये गये दिशा-निर्देश के अनुरूप मानचित्र में प्रदर्शित है, जिनका अधिष्ठापन भी तद्दानुसार किया जायेगा।

प्रस्तावित भवन का निर्माण ऑनलाइन प्रस्तुत किये गये मानचित्रों के अनुरूप करते हुए अग्निशमन/अग्निसुरक्षा/जीवरक्षा, यंत्रों/उपकरणों का अधिष्ठापन भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।

भविष्य में अगर प्रस्तुत मानचित्रों/अनुमोदित मानचित्रों में कोई परिवर्तन/अतिरिक्त निर्माण कार्य किया जायेगा तो उसकी पूर्वानुमति मेरे द्वारा अग्निशमन विभाग से प्राप्त की जायेगी।

उपरोक्त स्वम घोषणा के अनुसार समस्त व्यवस्थाओं/बिन्दुओं का मेरे द्वारा शत-प्रतिशत पालन निर्माण कार्य के द्वारा किया जायेगा एवं निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त भवन का अधिभोग करने से पूर्व अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

हस्ताक्षर
विनोद कुमार
भवन स्वामी/अधिभोगी का नाम

तिथि-4-12-2021

SIDDHARTH JAIN
Chief Regional Manager
Kanpur Retail Regional Office
Hindustan Petroleum Corporation Limited